

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता०.....

तक जिला धनबाद

एम.पी.वा. सं०.....

587/17

धारा 144, 2, 5, 6

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
6-4-17	<p>द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रगारी, गौबिन्दपुर रो अप्राथमिकी सं० 13 / 2017 दिनांक 5-4-2017... प्रतिवेदन प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है, जिसमें पक्षकारों के बीच शांति गंग होने की सम्भावना बनी हुई है।</p> <p>पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया तथा अवलोकनोपरान्त मैं सन्तुष्ट हूँ की उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति गंग होने की सम्भावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोक जाना नितान्त आवश्यक है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। कार्रवाई प्रत्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 17-4-17 को 10:30 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाय।</p>	
	<p><u>प्रश्नगत भूमि का विवरण</u></p>	
	<p>मौजा-गायडेहरा, मौजा नं०-168, खाता नं०-35, प्लॉट नं०-306, रकबा-05 डी० चौहद्दी-पु०-पी.सी.सी. रोड़, प०-प्रथम पक्ष का निज अंश, उ०-प्रथम पक्ष का निज अंश, द०-मो० इस्लाम का पक्के का छतदार मकान।</p>	
	<p>लेखापित एवं संगोपित</p>	
	<p><i>Lea</i> अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।</p>	<p><i>Lea</i> अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।</p>